राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2896/2022

हेमेन्द्र कुमार **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये गृह शासन सचिव, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला भरतपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 03.08.2022
आदेश की दिनांक : 31.10.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री एम.एम.महर्षि, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी की एपीएआर वर्ष 2014–15 की आउट स्टेडिंग मानते हुए तीन अंक दिए जावें और दो अंक अपीलार्थी के द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण में जोडे जावें। चार अंक कम्प्यूटर कोर्स के जोडे जावें और इस प्रकार द्वितीय चरण का परिणाम को संशोधित करते हुए अंतिम परिणाम घोषित करते हुए हैड कांस्टेबल की चयन सूची में अपीलार्थी का नाम जोडा जावे तथा अपीलार्थी को पदोन्नति देते हुए समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कांस्टेबल के पद पर जिला सिरोही में दिनांक 11.12.1999 को हुई थी और वर्ष 2012 में अपीलार्थी को जिला दौसा से भरतपुर स्थानान्तरित किया गया तथा 7 वर्ष बाद जिला करौली वर्ष 2019 में स्थानान्तरण किया गया और पुनः वर्ष 2021 में भरतपुर स्थानान्तरित किया गया। वर्ष 2016–17 के विरूद्ध भरतपुर जिले में 49 हैड कांस्टेबल के पद की रिक्तियों की अधिसूचना दिनांक 28.09.2016 को जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी ने भाग लेने हेतु स्वीकृति विभाग से ली। अपीलार्थी को प्रथम

चरण की परीक्षा उपरांत द्वितीय चरण के लिए बुलाया गया। अपीलार्थी का सेवाभिलेख आउट स्टेडिंग था और बाद में हैड कांस्टेबल पद के लिए 49 चयनित कांस्टेबल की अंतिम चयन सूची दिनांक 28.03.2017 को जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम नहीं जोडा गया और अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक का नाम चयन सूची में जोडा गया। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत विभाग से सूचना मांगी गई, जिसके क्रम में विभाग द्वारा दिनांक 03.06.2022 को अपीलार्थी को सूचना प्राप्त हुई, जिसमें ज्ञात हुआ कि बोर्ड द्वारा उसकी एपीएआर का मूल्यांकन उचित रूप से सही नहीं किया गया, जिसके कारण अपीलार्थी को उक्त परीक्षा में असफल द्योषित किया गया। जबकि अपीलार्थी की एपीएआर में दो अंक एवं द्वितीय वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने पर दो अंक प्राप्त करने का अधिकारी था तथा विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने पर चार अंक प्राप्त करने का अधिकारी था। अपीलार्थी की एपीएआर वर्ष 2011–12 से 2015–16 तक की 5 एपीएआर में से तीन बहुत अच्छा एवं दो अच्छा रेटिंग दी गई। जबकि बोर्ड द्वारा अपीलार्थी की सेवाभिलेख का सही मूल्यांकन नियमानुसार नहीं किया गया, जिसके कारण उसे उक्त पद पर पदोन्नति से वंचित किया गया, जो नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी की एपीएआर वर्ष 2014–15 की आउट स्टेडिंग मानते हुए तीन अंक दिए जावें और दो अंक अपीलार्थी के द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण में जोडे जावें। चार अंक कम्प्यूटर कोर्स के जोडे जावें और इस प्रकार द्वितीय चरण का परिणाम को संशोधित करते हुए अंतिम परिणाम घोषित करते हुए हैड कांस्टेबल की चयन सूची में अपीलार्थी का नाम जोडा जावे तथा अपीलार्थी को पदोन्नति देते हुए समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल योग्यात्मक परीक्षा वर्ष 2016–17 परीक्षा के भाग प्रथम एवं द्वितीय में कुल अंको के 50 प्रतिशत (137.50) अंक प्राप्त नहीं होने के कारण अपीलार्थी को उक्त परीक्षा में असफल घोषित किया गया है और अपीलार्थी को अनुत्तीर्ण होने पर वरिष्ठतानुसार परीक्षा में उत्तीर्ण आगामी कार्मिकों को निर्धारित रिक्तियों के अनुरूप कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल वर्ष 2016–17 में रिव्यू प्रक्रिया के तहत पदोन्नति प्रदान की गई है। अपीलार्थी को वर्ष 2011–12 से 2015–16 एपीएआर के प्रतिवेदक एवं समीक्षक द्वारा

दी गई ग्रेडिंग के अनुसार नियमानुसार सही अंक दिए गए हैं। पुलिस मुख्यालय के स्थाई आदेश संख्या 4/97 के 3 के शिक्षा के अंकों में 12वीं कक्षा पूर्ण के कोई भी अंक नहीं हैं तथा कांस्टेबल की कोई भी विशेष ट्रेनिंग नहीं होने के कारण अपीलार्थी को प्रशिक्षण में नियमानुसार परीक्षा हेतु गठित बोर्ड द्वारा कोई अंक नहीं दिए गए हैं और अपीलार्थी के सेवा रिकार्ड में अंकितानुसार रिवार्ड एवं दण्डादेशों के 20 में से 20 अंक दिए हैं। इस प्रकार अपीलार्थी की परीक्षा का सही मूल्यांकन किया गया है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील के जवाब का उल जवाब प्रस्तुत करते हुए बहस की है कि अपीलार्थी सेवा रिकार्ड के आधार पर 12वीं पास था तथा बोर्ड द्वारा अपीलार्थी को 0 अंक दिए गए। अपीलार्थी की 5 वर्ष की एपीएआर जिसमें 3 वर्ष की बहुत अच्छा एवं 2 वर्ष की अच्छा रेटिंग दी गई और इस प्रकार अपीलार्थी सेवा रिकार्ड के आधार पर पदोन्नति पाने का हकदार है। जबकि बोर्ड द्वारा अंकों का नियमानुसार सही मूल्यांकन नहीं किए जाने पर अपीलार्थी को हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति से वंचित किया गया, जो नियम विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कांस्टेबल के पद पर जिला सिरोही में दिनांक 11.12.1999 को हुई थी। वर्ष 2016–17 के विरूद्ध भरतपुर जिले में 49 हैड कांस्टेबल के पद की रिक्तियों की अधिसूचना दिनांक 28.09.2016 को जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी ने भाग लिया। अपीलार्थी को प्रथम चरण की परीक्षा उपरांत द्वितीय चरण के लिए बुलाया गया। हैड कांस्टेबल पद के लिए 49 चयनित कांस्टेबल की अंतिम चयन सूची दिनांक 28.03.2017 को जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम नहीं जोडा गया जबकि अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक का नाम चयन सूची में जोडा गया। जहां तक अपीलार्थी को वर्ष 2016–17 के विरूद्ध हैड कांस्टेबल के पद पर विभाग द्वारा पदोन्नति प्रदान नहीं किए जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल हेतु योग्यात्मक परीक्षा वर्ष 2016–17 के परीक्षा के प्रथम भाग एवं द्वितीय में कुल अंको के 50 प्रतिशत (137.50) अंक प्राप्त नहीं होने के कारण अपीलार्थी को उक्त परीक्षा

में असफल घोषित किया गया है। परीक्षा में अपीलार्थी को उचित एवं नियमानुसार अंक बोर्ड द्वारा दिए गए हैं। पुलिस मुख्यालय के स्थाई आदेश संख्या 4/97 के 3 के शिक्षा के अंकों में 12वीं कक्षा पूर्ण के कोई भी अंक नहीं हैं तथा कांस्टेबल की कोई भी विशेष ट्रेनिंग नहीं होने के कारण अपीलार्थी को प्रशिक्षण में नियमानुसार परीक्षा हेतु गठित बोर्ड द्वारा कोई अंक नहीं दिए गए हैं और अपीलार्थी के सेवा रिकार्ड में अंकितानुसार रिवार्ड एवं दण्डादेशों के 20 में से 20 अंक दिए हैं। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील में कोई बल प्रकट नहीं होने के कारण खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य